

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी
समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 442/2004
संस्थित दिनांक-02.05.2005

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-
आरक्षी केन्द्र-ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.**अभियोजन**

वि रू द्ध

योगिता उर्फ निधि अंजुम पिता काशीराम वर्मा,
पति इमरान अंजुम, आयु-32 वर्ष,
निवासी-ग्राम रणगांव तलाईपुरा,
तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी**अभियुक्त**

अभियोजन द्वारा	— श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	— श्री आर.के. चांदोरे अधिवक्ता ।

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 29/02/2016 को घोषित)

1. अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 177/04 में प्रस्तुत अभियोग-पत्र के आधार पर भा.द.वि. की धारा-504, 326/34, 323 एवं 506(बी) के अंतर्गत अपराध विचारणीय है ।
2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था तथा उल्लेखनीय तथ्य यह है कि प्रकरण में शेष अभियुक्तगण काशीराम पिता बालाराम वर्मा, सुनीताबाई पति काशीराम तथा विक्की पिता काशीराम वर्मा का इसी आपराधिक प्रकरण में दिनांक 27.05.15 को निर्णय घोषित किया जा चुका है तथा इस अभियुक्त के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण फरार घोषित करने के बाद उसे गिरफ्तार किये जाने के पश्चात् अब उक्त अभियुक्त का निर्णय घोषित किया जा रहा है । यह तथ्य भी स्वीकृत है कि प्रकरण के अभियुक्तों की रिपोर्ट के आधार पर फरियादी गजु तथा आहत साक्षी रेखा, संजय, पंचम और संगीता के विरुद्ध थाना ठीकरी में अपराध क्रमांक 178/04 अभियुक्त काशीराम द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसके आपराधिक प्रकरण क्रमांक 465/14 में भी न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.15 को निर्णय घोषित कर उन्हें दोषमुक्त घोषित किया गया है ।
3. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29.04.04 को रात्रि लगभग 8:00 बजे फरियादी गजु उसके काका तुकाराम के घर के बाहर खड़ा था तथा रेखाबाई, पंचम, दीपक और संतोष भी खड़े थे, अभियुक्त काशीराम ने गजु को देखकर माँ, बहन की अश्लील गालियाँ दीं, गजु ने गालियाँ देने से मना किया तो अभियुक्तों ने घर से बाहर आकर उसे और गालियाँ दी, अभियुक्त काशीराम ने दौड़कर जेब से चाकू निकालकर

गजानंद को दाहिने कान पर मार दिया, जिससे खून निकलने लगा, अभियुक्त संगीता ने रेखा को लात-घूसों से मारा और बाल पकड़कर खींचे अभियुक्त विककी और योगिता ने घर से लकड़ी लाकर रेखा और गजानंद के साथ मारपीट की, वहां खड़े संतोष एवं पंचम ने बीच-बचाव किया । पुलिस ने गजु की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस थाना ठीकरी पर अपराध क्रमांक 177/04 अंतर्गत धारा-294, 323, 326, 506/34 का दर्ज कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

4. उक्त अनुसार मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त पर भा. द.सं. की धारा-504, 326/34, 323 एवं 506(बी) के आरोप लगाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया तथा द.प्र.सं की धारा-313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष हैं, उसे झूठा फँसाया गया है, किन्तु बचाव में अभियुक्त ने किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है ।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 29.07.04 को रात्रि लगभग 8:00 बजे ग्राम रणगांव तलाईपुरा दवाना में अपने घर के सामने फरियादी गजु और रेखा, पंचम, दीपक और संतोष को लोग शांति भंग करने के आशय से प्रकोपित कर अपमानित किया ?
2	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, स्थान एवं समय पर सहअभियुक्त काशीराम के साथ मिलकर गजु को काटने के उपकरण चाकू से मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित किया, जिसके अनुसरण में काशीराम ने गजु को घातक उपकरण चाकू से दाहिने कान पर मारकर उसका कान स्थायी रूप से विद्रुपित कर स्वैच्छापूर्वक घोर उपहति कारित की ?
3	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर लकड़ी से रेखा और गजु को मारकर स्वैच्छापूर्वक उपहति कारित की गयी ?
4	क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादीगण को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
5	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

—: साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार :—

6. अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में साक्षी अनिल डोंगरे (अ.सा.1), डॉ. आर.एस. तोमर (अ.सा.2), रेखा (अ.सा.3), संतोष (अ.सा.4), गजु (अ.सा.5), पंचम (अ.सा.6), बी.एस. बघेल (अ.सा.7), त्रिलोक (अ.सा.8), सालिग्राम (अ.सा.9), सीताराम (अ.सा.10), प्रकाश (अ.सा.11), तुलसीबाई (अ.सा.12) का परीक्षण कराया गया है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 से 4 का निराकरण :-

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में साक्षी गजु (अ.सा.5) का कथन है कि वह अभियुक्त को जानता है, लगभग 4 साल पहले ग्राम दवाना में 8-8:30 बजे का समय था, वह तुकाराम के घर के बाहर खड़ा था, आरोपी काशीराम ने उसे माँ, बहन की गंदी गालियाँ दी थीं, वह समझाने गया था तो काशीराम की लड़की आ गयी थी, काशीराम की लड़की ने उसकी बहन रेखा के साथ मारपीट की, पंचम एवं संतोष ने बीच-बचाव किया था, बाद में उसने थाना ठीकरी पर प्र.पी.1 की रिपोर्ट की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने ईलाज के लिये अस्पताल भेजा था, वह काशीराम की पुत्री को चेहरे से पहचानता है, जिसने उसे मारा है, लेकिन नाम नहीं जानता है। अभियुक्त के उपस्थित होने पर साक्षी ने न्यायालय में योगिता को देखकर बताया कि यही काशीराम की पुत्री है। बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि घटनास्थल के आसपास तुकाराम का मकान है, जो उसका अंकल है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उसने घटना दिनांक को अभियुक्त के घर जाकर गाली गालौज और मारपीट की थी। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उसने काशीराम के अंगूठे में दाँत से काटा था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया कि काशीराम को बचाने के लिये उसके बच्चे आए थे तो उसने उनके साथ मारपीट की थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि अभियुक्तों ने उनके विरुद्ध रिपोर्ट की है। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया कि झगड़े में गिर जाने से उसे कान में चोट आई थी। साक्षी ने स्पष्ट किया कि काशीराम ने कान में चाकू मारा था, जिससे उसे चोट आई थी, कान कटकर अलग हो गया था। यह अस्वीकार किया है कि वह असत्य कथन कर रहा है।

8. साक्षी रेखा (अ.सा.3) का कथन है कि वह अभियुक्त को जानती है। फरियादी गजु को जानती है, गजु उसका भाई है। डेढ़ साल पहले शाम लगभग 7:00 बजे वह गजु तथा घर के सभी लोग ग्राम तलाईपुरा में अपने घर से खाना खाकर बाहर निकले थे, काशीराम ने अश्लील गालियाँ दी थी, गजु ने गालियाँ देने से मना किया था तो काशीराम ने उसे पकड़ लिया था और पकड़कर सड़क पर लाकर गिरा दिया था और उसके बाद योगिता दौड़कर आई और तीनों लोग गजु को मारने लगे थे, वह बचाने आई तो योगिता ने उस पर हमला कर दिया था तथा उसे मारा। योगिता ने उसे लकड़ी से मारा था, जिससे उसे हाथ-पैर में चोटें आई थीं। जब आरोपीगण उसके साथ मारपीट कर रहे थे, उस दौरान काशीराम ने चाकू निकालकर गजु का कान काट दिया था। घटना उसके मम्मी-पापा और मोहल्ले वालों ने देखी है। आरोपी योगिता ने जब गजु को नीचे गिराकर काशीराम गजु को मारने वाला था तो वह उस बीच में आ गयी थी, इसलिए योगिता गजु के साथ मारपीट नहीं कर पायी, उसके बाद वह और गजु थाना ठीकरी पर रिपोर्ट लिखाने गये थे। पुलिस ने मेडिकल-परीक्षण के लिये अस्पताल भेजा था। उसने पुलिस को घटनास्थल बताया था। साक्षी ने प्र.पी.6 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि गालियाँ काशीराम ने दी थी, जिस समय काशीराम गजु को मारपीट कर रहा था उस समय योगिता अपने घर के ओटले पर थी और गालियाँ दे रही थी। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि गजु ने काशीराम के हाथ का अंगूठा काट लिया था, साक्षी ने स्पष्ट किया कि जब काशीराम ने गजु को चाकू मारा था तो उससे बचने के लिये उसने काशीराम के हाथ का अंगूठा काटा लिया था। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि योगिता अपनी माँ, बहन को बचाने आई थी, तब पंचम

और संजय ने उसके साथ मारपीट की थी । साक्षी ने स्वीकार किया कि काशीराम ने उनके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की थी, जिसका प्रकरण न्यायालय में चल रहा है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया कि उक्त रिपोर्ट से बचने के लिये उन्होंने झूठी रिपोर्ट की है ।

9. साक्षी संतोष (अ.सा.4) ने अभियुक्त और फरियादी को पहचानने के अतिरिक्त अन्य कोई कथन अभियोजन के समर्थन में नहीं किया है । यहां तक कि साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.7 का कथन देने से भी इन्कार किया है । साक्षी पंचम (अ.सा.6) का कथन है कि वह अभियुक्त तथा फरियादी को पहचानता है । लगभग 4 साल पहले रात्रि 8:30 बजे ग्राम दवाना में तुकाराम के आंगन के बाहर खड़ा था, तभी आरोपी काशीराम आया और माँ, बहन की अश्लील गालियां संजय को देने लगा था, योगिता भी गाली गुप्ता कर रही थी । फरियादी गजु आरोपीगण को समझाने गया था तो काशीराम ने एकदम से गजु पर हमला कर दिया था और उसका कान काट दिया था । योगिता लकड़ी लेकर आई और रेखाबाई को लकड़ी से मारपीट की थी । फिर वे लोग बीच-बचाव कर गजु को अस्पताल ले गये थे । काशीराम ने जान से मार डालने की धमकी भी दी थी । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि संजय उसकी बुआ का लड़का है, झगड़ा संजय के घर के सामने हुआ था, उस समय तुकाराम, दीपक और संतोष भी उपस्थित थे । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि झगड़े के समय वह तुकाराम के घर के सामने खड़ा था । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि तुकाराम उसका फूफा लगता है, इसलिए उनके घर पर आया था । झगड़ा काशीराम के घर के सामने हो रहा था । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उन्होंने काशीराम को घर से बाहर निकलने के लिये कहा और घर से बाहर निकालकर उसके साथ मारपीट की थी । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि गजानंद ने काशीराम के हाथों में काट लिया था । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उन्होंने काशीराम की पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट की थी । फिर साक्षी ने स्वीकार किया कि काशीराम ने थाना ठीकरी में संजय, गजानंद, पंचम और संगीताबाई के नाम से रिपोर्ट की है । साक्षी ने स्वीकार किया कि उनके विरुद्ध भी अंजड़ न्यायालय में केस चल रहा है । लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि वह अभियुक्तों द्वारा की गयी रिपोर्ट से बचने के लिये असत्य कथन कर रहा है ।

10. साक्षी त्रिलोक (अ.सा.8) एवं साक्षी सालीग्राम (अ.सा.9) ने अभियुक्त को उनके सामने गिरफ्तार करने के संबंध में कथन किये हैं तथा गिरफ्तारी पंचनामे प्र. पी.12, प्र.पी.13 एवं प्र.पी.14 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं । अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि योगिता से एक लकड़ी पुलिस ने उनके सामने जप्त की थी । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि पुलिस ने जिन पंचनामों पर हस्ताक्षर कराये थे, वह उन्हें पढ़कर नहीं सुनाये थे ।

11. साक्षी सीताराम (अ.सा.10) का कथन है कि वह अभियुक्त को जानता है । फरियादी गजु को भी जानता है । विक्की और काशीराम शराब पीकर गंदी-गंदी गालियां गजानंद को दे रहे थे, गजानंद ने पूछा कि किसे गालियां दे रहे हो तो काशीराम और विक्की उसे मारने के लिये दौड़े थे, गजानंद के साथ उसकी बहन रेखा थी, तब सुनीता और उसकी बड़ी लड़की (योगिता) ने रेखा के बाल पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया था । काशीराम और विक्की ने हाथ-मुक्कों से गजु को मारा था, गजु

के कान से खून निकल रहा था । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस कथन में विक्की एवं काशीराम द्वारा शराब पीकर गजु के साथ गाली गालौज करने की बात पुलिस को बता दी थी, पुलिस ने नहीं लिखी तो कारण नहीं बता सकता । सुनीता और उसकी बड़ी बेटी ने रेखा को पकड़कर गिरा दिया था, यह बात पुलिस कथन में नहीं लिखी हो तो वह उसका कारण नहीं बता सकता । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह रंजिशवश अभियुक्त के विरुद्ध असत्य कथन कर रहा है ।

12. साक्षी प्रकाश (अ.सा.11) ने भी अभियुक्त और फरियादी को पहचानना तथा अभियुक्त द्वारा रेखा के साथ मारपीट करने के संबंध में कथन किये हैं । साक्षी का यह भी कथन है कि उसने छुड़ाया था उसके बाद वे लोग घर चले गये थे । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना रात्रि 8:00 बजे की है, उसे मंदिर में झगड़े की आवाज सुनायी दी थी तो वह वहां गया था । साक्षी ने स्वीकार किया है कि संजय उसकी बुआ के रिश्ते में है और संजय से उसकी अच्छी बोलचाल है । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि काशीराम को चोट आई थी तो पंचम, संजु और गजु को बचाने के लिये काशीराम के मोटरसायकल से गिरने से चोट आने की बात उसने पुलिस को बतायी थी । साक्षी ने यह जानकारी होने से इन्कार किया है कि काशीराम की रिपोर्ट पर से फरियादी पक्ष के विरुद्ध प्रकरण चल रहा है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह फरियादी पक्ष का रिश्तेदार होने के कारण असत्य कथन कर रहा है ।

13. साक्षी तुलसीबाई (अ.सा.12) ने अभियुक्त को पहचानने और उसके सामने अभियुक्त को गिरफ्तार करने से इन्कार किया है । अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि पुलिस ने उसके सामने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था और उससे एक लकड़ी जप्त की थी ।

14. साक्षी डॉ. आर.एस. तोमर (अ.सा.2) का कथन है कि दिनांक 29.07.04 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ठीकरी में थाना ठीकरी के आरक्षक थानसिंह द्वारा लाये जाने पर आहत गजु उर्फ गजानंद पिता मांगीलाल का परीक्षण करने पर उसके दाहिना कान फटा हुआ पाया था, कान का आधा भाग शरीर से अलग हो गया था, उक्त चोट किसी धारदार उपकरण से आई थी और परीक्षण से 6 घंटे के भीतर की होकर गंभीर प्रकृति की थी । उसने आहत को जिला चिकित्सालय बड़वानी रैफर किया था । इस साक्षी ने इसी दिनांक को आहत रेखा पति अनिल का परीक्षण करने पर पीठ पर रगड़ का निशान 2X1 इंच का सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना पाया है और उक्त चोट परीक्षण से 24 घंटे के भीतर साधारण प्रकृति की होना पायी थी । साक्षी ने उसके परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.4 एवं प्र.पी.5 को प्रमाणित किया है । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि गजु को एक ही चोट आई थी, जो दांत के काटने से आना संभावित है । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि किसी नुकीले पतरे पर धार की जगह गिरने से इस प्रकार की चोट आना भी संभव है । साक्षी ने रेखा को आई चोट भी गिरने से आना स्वीकार किया है, लेकिन बचाव-पक्ष की ओर से उक्त दोनों ही आहत रेखा एवं गजु को यह सुझाव नहीं दिया गया है कि उन्हें गिरने से चोटे आई थीं, ऐसी स्थिति में साक्षी डॉ. आर.एस. तोमर (अ.सा.2) की उक्त स्वीकारोक्ति से बचाव-पक्ष को कोई सहायता नहीं मिलती है ।

15. साक्षी अनिल डोंगरे (अ.सा.1) का कथन है कि दिनांक 29.07.04 को उसने थाना ठीकरी में फरियादी गजु पिता मांगीलाल की रिपोर्ट के आधार पर प्र.पी.1 का अपराध दर्ज किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने आहत गजु एवं रेखा को मेडिकल-परीक्षण के लिये अस्पताल ठीकरी प्र.पी.2 एवं प्र.पी.3 के प्रतिवेदन द्वारा भेजा था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि गजु के साथ रेखाबाई भी थाने पर आई थी और उसने रेखाबाई को चोटे नहीं देखी थी ।

16. साक्षी बी.एस. बघेल (अ.सा.7) का कथन है कि दिनांक 30.07.04 को थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 177/04 की विवेचना के दौरान रेखाबाई के बताये अनुसार नक्शामौका प्र.पी.6 का बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर रेखाबाई के हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि फरियादी एवं साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लिये थे । उसने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था और आरोपी योगिता से एक लकड़ी प्र.पी.14 के अनुसार जप्त की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने आरोपी योगिता से कोई लकड़ी जप्त नहीं की थी । साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटनास्थल के आसपास रहने वाले व्यक्तियों से घटना के संबंध में कोई पूछताछ नहीं की थी । साक्षी ने स्वीकार किया कि गजु और संजय के विरुद्ध भी प्रकरण न्यायालय में चल रहा है ।

17. आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण के आहत साक्षी एवं चश्मदीद साक्षी फरियादीगण से हितबद्ध हैं तथा काउंटर प्रकरण भी काशीराम की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुआ था । आहत रेखाबाई के साथ अभियुक्त योगिता द्वारा मारपीट किये जाने के संबंध में अभियोजन साक्षियों के कथन स्पष्ट नहीं हैं, साक्षियों ने यह भी स्वीकार किया है कि घटना काशीराम के घर के बाहर हुई है तथा यह भी स्वीकार किया है कि काशीराम द्वारा फरियादी को गाली नहीं दी जा रही थी, ऐसी स्थिति में अभियोजन का मामला शंकास्पद हो जाता है और उसे दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता ।

18. यह सही है कि अभियोजन साक्षी आपस में फरियादी से हितबद्ध हैं और उसके रिश्तेदार हैं । यह भी सही है कि अभियुक्त काशीराम की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण के आहत गजु एवं साक्षियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण न्यायालय में दर्ज किया गया है, लेकिन उक्त प्रकरण में गजु तथा अन्य व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा दिनांक 27.05.15 को दोषमुक्त घोषित किया गया है तथा उक्त निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं किये जाने से उक्त निर्णय अब अंतिम हो चुका है । यह तथ्य भी स्वीकृत है कि अभियुक्त काशीराम द्वारा जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी, वह गजु द्वारा लिखायी गयी रिपोर्ट के पश्चात् की थी, जहां तक आहत साक्षी एवं अन्य साक्षियों के द्वारा अभियुक्त योगिता द्वारा रेखाबाई के साथ मारपीट किये जाने के संबंध में कोई भी स्पष्ट कथन नहीं किये जाने का प्रश्न है, वहां इस संबंध में उल्लेखनीय है कि घटना रात के समय की है तथा अभियुक्तगण संख्या में चार थे तथा अचानक हुए झगड़े में यह देखना संभव एवं स्वाभाविक नहीं है कि किस अभियुक्त द्वारा किस प्रकार से आहत साक्षी के साथ मारपीट की गयी है कि इसका स्पष्ट विवरण प्रत्येक साक्षी के कथन में आना संभव हो ।

19. अभियुक्त योगिता द्वारा गजु (अ.सा.5), रेखा (अ.सा.3) के साथ मारपीट किये जाने के संबंध में साक्षीगण रेखा (अ.सा.3) गजु (अ.सा.5), पंचम (अ.सा.6), सीताराम (अ.सा.10), प्रकाश (अ.सा.11) के कथन पूर्णतः विश्वसनीय हैं और उनका कोई भी खंडन संपूर्ण प्रतिपरीक्षण के दौरान नहीं है। इस घटना की रिपोर्ट तत्काल बाद गजु (अ.सा.5) ने थाना ठीकरी पर दर्ज करायी गयी है तथा गजु (अ.सा.5) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी योगिता द्वारा लकड़ी से उसे और रेखा से मारपीट किये जाने के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया गया है तथा रिपोर्ट के पश्चात् उक्त दोनों आहतों को मेडिकल-परीक्षण के लिये भेजा गया है, जहां डॉक्टर ने परीक्षण करने पर रेखा, गजु को प्र.पी.4 एवं प्र.पी.5 में दर्शित चोटे होना पायी हैं, यद्यपि डॉ. आर.एस. तोमर (अ.सा.2) ने यह स्वीकार किया है कि आहत गजु को एक ही चोट थी, लेकिन आरोपी के विरुद्ध गजु के विरुद्ध किये गये अपराधों के संबंध में केवल भा.द.वि. की धारा-323 का ही प्रकरण है तथा साधारण प्रकृति की सख्त एवं बोथरी वस्तु से आई चोट के लिये कोई दृष्टिगोचर होने योग्य चोट होना आवश्यक नहीं है। अभियोजन साक्षियों के कथन घटना के लगभग 4 से 5 वर्ष पश्चात् न्यायालय में हुए हैं, ऐसी स्थिति में साक्षियों के कथनों में आए विरोधाभास एवं विसंगतियां स्वाभाविक स्वरूप की हैं तथा जो रिश्तेदार साक्षीगण हैं, वे घटना के स्वाभाविक साक्षी हैं। ऐसी स्थिति में उनकी साक्ष्य को केवल हितबद्धता के आधार पर तिरस्कृत नहीं किया जा सकता है।

20. इस प्रकार अभियोजन की साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त योगिता ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर गजु (अ.सा.5) एवं रेखा (अ.सा.3) को लकड़ियों से मारपीट कर उन्हें स्वैच्छापूर्वक उपहति कारित की, जो भा.द.वि. की धारा-323 (दो काउंट) का अपराध है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त योगिता पिता काशीराम को भा.द.वि. की धारा-323 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 5 'निष्कर्ष' एवं 'दण्डादेश' :-

21. जहां तक अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-504, 326/34 एवं 506(बी) के अपराधों का प्रश्न है, वहां साक्षी गजु (अ.सा.5) और अन्य साक्षियों का स्पष्ट कथन है कि गालियां अभियुक्त काशीराम द्वारा दी जा रही थी तथा काशीराम ने ही गजु के साथ धारदार उपकरण चाकू से उसका कान काटा था। उक्त साक्षियों का यह भी कथन नहीं है कि अभियुक्त योगिता ने गजु को स्वैच्छापूर्वक धारदार वस्तु से घोर उपहति कारित करने का सामान्य आशय अभियुक्त काशीराम के साथ मिलकर निर्मित किया था, ऐसी स्थिति में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-504, 326/34 एवं 506(बी) का अपराध प्रमाणित नहीं होता है, अतः उक्त धाराओं के अपराध से अभियुक्त योगिता को दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

22. चूंकि अभियुक्त का विचारण वारंट प्रक्रिया के अनुसार किया गया है। सजा के प्रश्न पर सुनने के लिये निर्णय अस्थायी रूप से स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.

पुनश्च:

23. अभियुक्त के अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया, उनका निवेदन है कि अभियुक्त एक महिला है तथा उसने लम्बे समय तक विचारण का सामना किया है, उसके दो छोटे-छोटे बच्चे हैं, पारिवारिक विवाद में हस्तक्षेप करने के कारण उक्त घटना घटित हुई है, अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए ।

24. यह सही है कि अभियुक्त एक महिला है तथा उसके विरुद्ध केवल भा.द.वि. की धारा-323 का अपराध प्रमाणित हुआ है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त को कारावास के दण्ड से दण्डित करना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः अभियुक्त को भा.द.वि. की धारा-323 (दो काउंट) के अपराध में दोषसिद्ध ठहराते हुए 800-800/-रूपये (अक्षरी आठ-आठ सौ रुपये) के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर अतिरिक्त 15-15 दिन के साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है ।

25. अभियुक्त के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

26. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति बाद अपील अवधि नष्ट की जाए, अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए ।

27. अभियुक्त का द.प्र.सं. की धारा-428 के प्रावधानों के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण-पत्र बनाया जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया । मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.